



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248558
CG-DL-E-05092023-248558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]
No. 514]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2023/भाद्र 14, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2023/BHADRA 14, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण (सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7क. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति या पदत्याग.- जहां अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है या संगठित

सेवा का सेवारत सदस्य है, वह अधिकरण में पदग्रहण करने से पहले अपनी मूल सेवा से या तो त्यागपत्र देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अभिप्राप्त करेगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“13. पेंशन, भविष्य निधि और उपदान.- अधिकरण में की गई सेवा के लिए पेंशन, भविष्य निधि और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।”

[फा. सं. ए-50050/33/2023-सीईएसटीएटी-डीओआर-भाग(1)]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 635(अ), तारीख 15 सितंबर, 2021 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 16 जून, 2023 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2023

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Tribunal (Conditions of Service) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the said rules), after Rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-

“7A Retirement or resignation from parent service on appointment as Chairperson or Member.—

Where the person appointed as a Chairperson or a Member is a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a serving Member of an organised service, he shall either resign or obtain voluntary retirement from his parent service before joining the Tribunal.”

3. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

“13. Pension, Provident Fund and Gratuity.— Pension, Provident Fund and gratuity shall not be admissible for the service rendered in the Tribunal.”

[F. No. A-50050/33/2023-CESTAT-DOR-Part(1)]

MANOJ KUMAR SINGH, Director

Note: The Principal rules were notified vide notification number G.S.R. 635(E) dated the 15th September, 2021 and last amended vide notification number G.S.R. 444(E) dated the 16th June, 2023.